न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 150/2017/223 (2017/00150)

1. रामेश्वरलाल,
2. रामस्वरूप,
   पिसरान स्व0 भैरूलाल, पुत्र एदूल नाई, निवासी चरखी गली, शाहपुरा मौहल्ला, ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती नौरती पुत्री स्व0 भैरूलाल पत्नि ताराचंद, जाति नाई, निवासी हाल घोसी मोहल्ला, नसीराबाद, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती कमला बेवा राजू, जाति बलाई (मृतक)
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, ब्यावर ।
3. सब रजिस्ट्रार, ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. किशनलाल पुत्र घेवरचन्द, जाति मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
5. मुकेश पुत्र रामेश्वर, जाति मेघवाल, निवासी गढ़ी थोरियान, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. अर्जुनलाल पुत्र भागू, जाति मेघवाल, निवासी ब्यावर खास, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
7. रामेश्वर पुत्र डूंगाराम, जाति मेघवाल, निवासी नून्द्रीमालदेव, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 1.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 18/2013.

उपस्थितः—

1. श्री गौरव दवे, वकील अपीलांटस ।
2. श्री घनश्यामसिंह लखवात, वकील रेस्पो0 संख्या 4, 5, 7.
3. रेस्पो0 संख्या 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 2.2.2021

1. यह अपील विद्वान देन सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय दिनांक 1.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम सेदरिया, तहसील ब्यावर जिला अजमेर में साबिक खसरा नंबर 237 रकबा 1—10—00 हाल खसरा नंबर 303 रकबा 1—8—10, साबिक खसरा नंबर 238 रकबा 1—12—00 हाल खसरा नंबर 304 रकबा 1—13—10 एवं साबिक खसरा नंबर 236 रकबा 00—3—00 हाल खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नंबर 302 रकबा 00–03–00 भूमि अवस्थित है । वादी/अपीलांट के पिता स्व0 भैरूलाल पुत्र एदूल जाति नाई निवासी ब्यावर के जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 1.2.1962 के जरिये साबिक खसरा नंबर 237 मिन रकबा 10 बिस्वा एवं साबिक खसरा नंबर 238 मिन रकबा 10 बिस्वा व साबिक खसरा नंबर 236 रकबा 3 बिस्वा का 1/2 हिस्सा एवं जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 6.7.1962 के जरिये शेष साबिक खसरा नंबर 237/1 शेषक रकबा 10 बिस्वा एवं साबिक खसरा नंबर 238/1 का शेष रकबा 10 बिस्वा एवं साबिक खसरा नंबर 236 चाह में निहित हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 के पति स्व0 राजू पुत्र गोपा जाति भांबी निवासी सेदरिया ने बेचान कर उसका कब्जा स्व0 भैरूलाल को सुपुर्द कर दिया । स्व0 भैरूलाल उनके जीवनकाल में उपरोक्त वर्णित आरायिजात व चाह पर काबिज काश्त रहे । भैरूलाल की मृत्यु दिनांक 21.8.1972 को ब्यावर में हो गई उसके बाद उनके वारिसान वादी अपीलांट का कब्जा काश्त आज दिवस तक चला आ रहा है । हाल सेटलमेंट में विवादित आराजियात के नये खसरा नंबर 303, 304 व 302 चाह कायम हो चुके है । वादग्रस्त आराजियात विक्रय के आधार पर भैरूलाल की खातेदारी की हो गई थी तथा उसकी मृत्यु उपरांत वादी/अपीलांटस हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा वादीगण के नाम खातेदारी से दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों की गलती से उनका नाम दर्ज नहीं किया जिसके कारण से उक्त भूमि अभी भी रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी में गलत व गैर कानूनी तरीके से चली आ रही है । उस समय स्व0 भैरूलाल अनपढ़ व ग्रामीण व्यक्ति थे और अंगूठा निशानी लगाते थे इस कारण से उन्हें यही सद्विश्वास व ध्यान रहा कि वे उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामे के कारण से खातेदार हो चुके है तथा उन्हें स्व0 राजू पुत्र गोपा व श्रीमती कमला रेस्पो0 ने भी बेदखल नहीं किया न सरकार ने बेदखल किया तथा उनकी बेदखली की कार्यवाही भी कानूनन मियाद बाहर हो चुकी है । प्रतिवादी संख्या 1 लाऔलाद फौत हो चुकी है उसके कोई वारिस नहीं था ओर एक अनजान व्यक्ति नारायण पुत्र बींजा जो कमला का वारिस नहीं है उसने वादी की जानकारी के अभाव में उसकी पीठ पीछे फौती नामांतकरण खुलवाकर जमाबंदी में अमल दरामद करवा लिया और उक्त नानारायण ने वादग्रस्त आराजियात का एक मुख्त्यिारनामा दिनांक 28.6.2013 को किशनलाल पुत्र घेवरचंद जाति मेघवाल के हक में निष्पादित कर दिया था और इस तरह मुख्तियारआम किशनलाल ने वादग्रस्त भूमियों को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.7.2013 के द्वारा मुकेश पुत्र रामेश्वर मेघवाल एवं अर्जुनलाल पुत्र भागू मेघवाल को विक्रय कर दी जबकि कब्जा वादीगण के पास है । उक्त बेचाननामे के आधार पर जमाबंदी में इंद्राज भी करवा दिया । यह बेचाननामा तथा जमाबंदी में किये गये इंद्राज गलत व गैर कानूनी है और वादी के लिए बाध्यकारी नहीं है क्योंकि आराजी के मूल खातेदार राजू पुत्र गोपा भांबी ने वादीगण के पिता स्व0 भैरूलाल पुत्र एदूल, जाति नाई के हक में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.2.1962 एवं 6.7.1962 को कर चुके है ओर उसी समय से कब्जा भी वादीगण का ही चला आ रहा है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 4 से 6 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर वाद संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 1.6.2017 द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट की पीठ पीछे नून्द्री मालदेव में दिनांक 29.5.2017 को कैम्प कोर्ट नहीं होते हुए भी प्रतिवादीगण द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्राप्त किया है । प्रतिवादी को आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है अगर पीठासीन अधिकारी को मात्र वादपत्र के अध्ययन से ऐसा लगा कि वाद विधि द्वारा बाधित है तो उसी स्थिति में न्यायालय वाद को अस्वीकार कर सकती है । आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि वादी को दिये बिना ही आदेश 7 नियम 11 को आधार बनाकर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र की प्रति वादी को नहीं दिये जाने से वादी एवं उसके अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके न ही जवाब दे सके इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने जल्दबाजी में वाद को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने डी0एन0जे0 2011 पार्ट–3 राज0 पेज 1066, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1357, डी0एन0जे0 2010 (3) पेज 1457 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय का आधार यह लिया कि वादीगण के पिता भैरूलाल ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 1.2.1962 को प्रतिवादी संख्या 1 के पति स्व0 राजू पुत्र गोपा भांबी से क्रय किया है जो अनुसूचित जाति की है ओर ऐसा विक्रय पत्र प्रतिबंधित है जिससे वे खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी नहीं पाये जाते है । अधी0न्याया0 ने धारा 42–बी के प्रावधानों को सही रूप से नहीं समझा है क्योंकि यह प्रतिबंध एक्ट आफ 64 क्लाज बी द्वारा लगाया गया है ओर इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव नहीं है । इसलिये 1962 में किया गया विक्रय प्रतिबंधित नहीं है । इस संबंध में राज0उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा 1964 आर0आर0डी0 पेज 342 के न्यायिक दृष्टांत को उद्धरित किया । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत में किया गया है जबकि लोक अदालत में वे ही निर्णय किये जा सकते है जो दोनों पक्षकारों की सद्भावना और सहमति से किये गये हो। हस्तगत प्रकरण में न तो वादी के वकील उपस्थित है ओर ना ही दोनों पक्षकारों में कोई सहमति राजीनामा हुआ है । ऐसी स्थिति में लोक अदालत का निर्णय नहीं माना जा सकता है । इस संबंध मं ए0आई0आर0 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 3089 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । बहस में आगे कथन किया कि दिनांक 22.3.2017 को पेशी उपखण्ड न्यायालय ब्यावर के न्यायालय में सम्पादित हुई आगे तारीख दिनांक 6.6.2017 उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के लिए ही दी गई किन्तु पत्रावली अचानक दिनांक 24.5.2017 को पेशी में ली गई जबकि उस दिन कोई सुनवाई के लिए तारीख नियत नहीं थी । ओर आगे तारीख 1.6.2017 दे दी गई । दिनांक 1.6.2017 को प्रार्थी कैम्प कोर्ट में हाजिर हुआ तो प्रार्थी के हस्ताक्षर न्यायालय की आदेशिका पर करवा दिये गये किन्तु न तो कोई राजीनामा की बात हुई और ना ही पक्षकार के मध्य कोई राजीनामा ही हुआ । प्रार्थी को यह कहा गया कि कैम्प कोर्ट में भीड़ है ब्यावर आकर पेशी मालूम कर लेना । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने दिनांक 1.6.2017 को ही वाद को खारिज कर दिया जो विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 24.2.2016 को वादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 जा0दी0 पेश किया गया

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

था और पत्रावली उस प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए नियत थी किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना अधी0न्याया0 ने वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वाद को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में ए0आई0आर0 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 3089, आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के संबंध में आर0आर0टी0 2019 पार्ट–1 पेज 116, डी0एन0जे0 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 1360 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 4, 5 व 7 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 302, 303 व 304 का भूमि रूपातंरण हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 ने उक्त भूमि का चार्ज जमा करवाकर ले–आउट पास करवा लिया है । इस कारण राजस्व न्यायालय को वादग्रस्त आराजियात बाबत् सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 4 से 7 ने तत्कालीन खातेदार से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा वर्तमान में आवासीय कॉलोनी पास करा प्लाट काट कर बेचान कर दिये है व नगर परिषद की आवासीय कॉलोनी होने से राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद क्षेत्राधिकार विहिन होने से खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2013 पेज 283, आर0बी0जे0 2014 पेज 740 सुप्रीम कोर्ट, आर0आर0डी0 2008 पेज 681, आर0एल0डब्ल्यू0 2013 पार्ट–1 पेज 81 राज0, आर0एल0डब्ल्यू0 2008 पार्ट–2 पेज 1390 राज0 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम सेदरिया, तहसील ब्यावर जिला अजमेर में साबिक खसरा नंबर 237 रकबा 1–10–00 हाल खसरा नंबर 303 रकबा 1–8–10, साबिक खसरा नंबर 238 रकबा 1–12–00 हाल खसरा नंबर 304 रकबा 1–13–10 एवं साबिक खसरा नंबर 236 रकबा 00–3–00 हाल खसरा नंबर 302 रकबा 00–03–00 भूमि अवस्थित है । वादी/अपीलांट के पिता स्व0 भैरूलाल पुत्र एदूल जाति नाई निवासी ब्यावर ने जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 1.2.1962 के साबिक खसरा नंबर 237 मिन रकबा 10 बिस्वा एवं साबिक खसरा नंबर 238 मिन रकबा 10 बिस्वा व साबिक खसरा नंबर 236 रकबा बिस्वा का 1/2 हिस्सा एवं जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 6.7.1962 के जरिये खसरा नंबर 237/1 का शेष रकबा 10 बिस्वा एवं साबिक खसरा नंबर 238/1 का शेष रकबा 10 बिस्वा एवं साबिक खसरा नंबर 236 चाह में निहित हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 के पति स्व0 राजू पुत्र गोपा जाति भांबी निवासी सेदरिया से क्रय कर कब्जा काश्त प्राप्त किया है । स्व0 भैरूलाल उनके जीवनकाल तक विवादित आराजियात पर क्रय के आधार पर काबिज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु उपरांत वादीगण/अपीलांटस काबिज काश्त चले आ रहे है । हाल सेटलमेंट में विवादित आराजियात के नये खसरा नबर 303, 304 व 302 चाह कायम हो चुके है । तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों की गलती से उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया जिसके कारण से उक्त भूमि रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी में गलत दर्ज चली आ रही है । प्रतिवादी संख्या 1 लाऔलाद फौत हो चुकी है उसके कोई वारिस नहीं था किन्तु एक अनजान व्यक्ति

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नारायण पुत्र बींजा जो कमला का वारिस नहीं है, उसने वादी की जानकारी के अभाव में फौती नामांतकरण खुलवाकर जमाबंदी में अमल दरामद करवा लिया और उक्त नारायण ने वादग्रस्त आराजियात का एक मुख्तियारनामा दिनांक 28.6.2013 को किशनलाल पुत्र घेवरचंद जाति मेघवाल के हक में निष्पादित कर दिया । मुख्तियारआम किशनलाल ने वादग्रस्त भूमियों को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाक 23.7.2013 के द्वारा मुकेश पुत्र रामेश्वर मेघवाल एवं अर्जुनलाल पुत्र भागू मेघवाल को विक्रय कर दी जबकि कब्जा वादीगण के पास है । उक्त बेचाननामे के आधार पर जमाबंदी में भी इंद्राज करवा लिया है । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 4 से 7 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादवर्णित आराजियात का भूमि रूपातंरण किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 से 7 ने उक्त भूमि का चार्ज जमा करवा ले–आउट प्लॉन पास करवा लिया है एवं उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि आबादी है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है । अतः वाद वादीगण निरस्त किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 1.6.2017 को प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 4 से 7 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 इस आधार पर स्वीकार किया कि वादीगण के पिता स्व0 भैरूलाल पुत्र एदूल, जाति नाई ने विवादित आराजियात पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.2.1962 के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 के पति स्व0 राजू पुत्र गोपा कौम भांबी निवासी सेदरिया से क्रय की है । विक्रेता अनुसूचित जाति से है एवं क्रेता स्वर्ण जाति से है जिसे अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि क्रय करने का वर्ष 1962 मं कोई अधिकार नहीं था जो धारा 42 राज0काश्त0अधि0 से प्रतिबंधित है । इसके अतिरिक्त विवादित भूमि ए–वन कॉलोनी के नाम से उप नगर नियोजक विभाग अजमेर द्वारा ले–आउट प्लान का तकनीकी अनुमोदन दिनांक 30.10.2013 से किया है । अतः वादीगण का वाद बार्ड बॉय लॉ होने से प्रतिवादीगण संख्या 4 से 7 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण का वाद निरस्त किया है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 ने आर0बी0जे0 2014 पेज 740 सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक दृष्टांत पेश किया जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "RAJASTHAN TENANCY ACT. `1955-There was clear prohibition in making any sale by a member of Scheduled Caste or Scheduled Trible to Non-Scheduled Caste or Non-Scheduled Tribes since 22-9-1956. Transfer made on 12-1-1962 was against the said prohibition. " हस्तगत प्रकरण में वादीगण के पिता स्व0 भैरूलाल द्वारा विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 के पति स्व0 राजू पुत्र गोपा, जाति भांबी से दिनांक 1.2.1962 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किये जाने का कथन कर वादग्रस्त आराजियात बाबत् खातेदारी का अनुतोष चाहा है । वादीगण के पिता स्व0 भैरूलाल के पक्ष में निष्पादित उक्त विक्रय पत्र 1.2.1962 दिनांक 12.1.1962 के पश्चात् का होने से धारा 42 राज0काश्त0अधि0 का स्पष्टतया उल्लंघन होकर वादीगण का वाद बार्ड बॉय लॉ है । इसके अतिरिक्त विवादित आराजियात बाबत् उप नगर नियोजन विभाग, अजमेर द्वारा ले–आउट प्लान का तकनीकी अनुमोदन दिनांक 30.10.2013 को किया गया है जिससे भी विवादित आराजियात बाबत् सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 7 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण का वाद

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवचेनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.6.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 2.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर